केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंग नाथ मार्ग,
मुनिरका, नई दिल्ली – 110 067

CIC/AA/A/2020/50
CICOM/A/P/20/00022
CICOM/R/P/2020/00013

अपीलकर्ता का नाम: श्री संत कुमार चौबे
एस 26/42 डी–2ए अशोकपुरम,
मीरापुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
पिन– 221 002

1.	आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	गैर दिनांकित
2.	आर.टी.आई. आवेदन के जवाब की तिथि	23.01.2020
4.	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, जिन्होंने जवाब दिया	श्री ए0 के0 असीजा, डी.आर. –सह– सीपीआईओ, आई.सी.(वी. एन.)
3.	प्रथम अपील की तिथि	गैर दिनांकित
5.	निर्णय की तिथि	03.03.2020

प्रथम अपील से संबंधित संक्षिप्त तथ्य:-

1. अपीलकर्ता ने अपने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग द्वारा निस्तारित उनकी द्वितीय अपील संख्या CIC/POSTS/A/2018/158684 के अनुपालन में संबंध में निम्नलिखित सूचना की मांग की थी:–

1. कृपया सूचित करें कि आपके आदेश का अनुपालन हुआ। यदि हुआ है तो कैसे और नही तो विलम्ब का कारण क्या है।

2. RU414419153IN दिनांक 06.08.19 कब प्राप्त हुई और अपील संदर्भित बिंदु 2 पर विभाग द्वारा किस परिस्थिति में में अपील निस्तारण की अवधि नहीं बतायी जा रही है।

3. आयोग द्वारा जारी आदेशानुसार बिंदु 1 पर सूचित किया गया, परन्तु बिंदु 2 पर कब तक सूचना उपलब्ध करायी जाएगी।

4. सहायक निर्देश कार्यालय पी.एम.जी. वाराणसी के पत्रांक आर0पी0वी0/स्टाफ/प्रतिवेदन–सनत कुमार चौबे/2017 दिनांक 14.11.18 पर अधूरी सूचना देने पर क्या कार्रवाई की गयी।

O/C
9/3/20

सीपीआईओ का जवाब :-

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
04 MAR 2020
D. No.....
Initials.....

2. उपरोक्त आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में श्री ए0 के0 असीजा, डी.आर.–सह– सीपीआईओ, आई.सी.(वी.एन.), सीआईसी ने प्रार्थी को निम्नलिखित सूचना प्रेषित की:

II. केस फाईल नंबर CIC/POSTS/A/2018/158684 दिनांक 02.07.2019 के संदर्भ में:–

1. आयोग के आदेश के अनुपालन के संबंध में दिनांक 13.02.2019 और 02.07.2019 को सार्वजनिक प्राधिकरण (Public Authority) को पत्र भेजे गए हैं, उनकी प्रति संलग्न है।

   मामले के अनुपालन के संबंध में पत्र की प्रतिलिपि, जिसका फाईल संख्या आरपीवी/एसटीए/प्रतिवेदन –सनत कुमार चौबे/2017, दिनांक 25.02.2019, जो कि सहायक निदेशक, पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, वाराणसी से प्राप्त हुई है तथा मामले की ई–बुक (फाईल नंबर CIC/POSTS/A/2018/158684 से जुड़ी हुई है) की प्रति संलग्न है।

   आयोग के आदेश के अनुपालन के संबंध में पुनः 02.07.2019 को सार्जनिक प्राधिकरण को पत्र भेजा गया है। अनुपालन के संबंध में पत्र की प्रतिलिपि, जिसका फाईल संख्या – आरपीवी/स्टाफ/प्रतिवेदन – सनत कुमार चौबे/2017ए दिनांक 19.07.2019, जो कि सहायक निदेशक, पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, वाराणसी से प्राप्त हुई है, उनकी प्रति संलग्न है।

   आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत, सीपीआईओ केवल जानकारी प्रदान कर सकता है। प्रश्नों के उत्तर, जानकारी की परिभाषा में नहीं आता है।

2. डाक सेक्शन की सहायता लेते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पोस्ट ट्रैक करने पर कनसाईनमेंट संख्या RU414419153N दिनांक 06.08.19 का विवरण नहीं मिला है।

3. बिंदु संख्या 1 और 2 देखें।

4. मामले की ई–बुक में, इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

प्रथम अपील का आधार :-

3. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डी.आर.–सह– सीपीआईओ, आई.सी.(वी.एन.), के जवाब से असंतुष्ट होते हुए प्रार्थी ने प्रथम अपील दाखिल किया है, जिसमें प्रार्थी ने यह दलील प्रस्तुत की है कि,

   "अनेकानेक पत्राचार सूचना के संबंध में निवेदित होते हुए भी अनावश्यक सूचना प्राप्त हो रही है, जबकि संलग्नक (1) में आदेशित कि कितने दिनों में अपील निस्तारण करने का पावधाान है, इतनी ही सूचना आज तक आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं करायी गयी है। आप से अनुरोध हैकि समय–सीमा अपील निस्तारण की उपलब्ध कराई जाए।"

निर्णय :-

4. प्रथम अपील प्रपत्र, आरटीआई आवेदन और सीपीआईओ के जवाब का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 1 के अंतर्गत वांछित सूचना कि, "कृपया सूचित करें कि आपके आदेश का अनुपालन हुआ। यदि हुआ है तो कैसे और नही तो

विलम्ब का कारण क्या है।" के संदर्भ में सीपीआईओ द्वारा दिया गया जवाब स्पष्ट नहीं है। अतः केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, श्री ए0 के0 असीजा, डी.आर.–सह– सीपीआईओ, आई.सी.(वी.एन.) को यह निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तुत आदेश की प्राप्ति से 14 दिनों के अंदर प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत उनके आरटीआई आवेदन के बिंदु संख्या 1 के संदर्भ में स्पष्ट सूचना प्रेषित करें।

5. उपरोक्तानुसार प्रस्तुत अपील निस्तारित की जाती है।

6. यदि अपीलकर्ता प्रस्तुत निर्णय से असंतुष्ट हैं और चाहते हैं, वो केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली–110 067 के समक्ष इस निर्णय के विरूद्ध 90 दिनों के अंदर द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए स्वतंत्र हैं।

दिनांक : मार्च 03, 2020

मीनाशर्मा 03/03/2020

(श्रीमती मीना बी0 शर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 26162290

प्रतिलिपि :-

1. **सी.पी.आई.ओ., आर.टी.आई. सेल, सीआईसी, नई दिल्ली।**
2. **ए0 के0 असीजा, डी.आर.–सह– सीपीआईओ, आई.सी.(वी.एन.), सीआईसी, नई दिल्ली।**